वार्षिक लेखा
2012- 13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार,
कोर IV बी, प्रथम तल,
भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट : http://ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार वार्षिक लेखों की सूची

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	1-4
2	तुलन पत्र	5
3	आय तथा व्यय लेखा (योजना)	6
4	आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना)	7
5	प्राप्ति तथा भुगतान लेखा	8-9
6	अनुसूची 1-18	10-19
7	31मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के एक भाग के रुप में और संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियां	20-25

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे के साथ संलग्न तुलनपत्र औरउसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखों/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन का दायित्व है । हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा पर मत व्यक्त करना है ।

2 इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, श्रेष्ठ गणना प्रणालियों के साथ अनुरुपता, गणना मानकों और इनके प्रकटीकरण-मानदंडों आदि के संदर्भ में केवल लेखाप्रणाली विवेचनों (एकाउंटिंग ट्रीटमेंट)पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई टिप्पणियां है । विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता और निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, से संबंधित वित्तीय लेन-देनों पर लेखा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से दिखाई गई है।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में प्रायः स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार ही की है। इन मानको में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें कि यह वित्तीय विवरणों के गलत-बयानी से मुक्त होने के संबंध में तर्कसंगत रुप में आश्वस्त करे। किसी लेखा परीक्षा में राशियों के समर्थन में दस्तावेजों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा नियमों का जायजा लेना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत के औचित्य का उचित आधार है ।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम दर्ज करते है कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरुप हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है ।

(ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए है।

(iii) हमारी राय में, एनसीआरपीबी द्वारा एनसीआरपीबी 1985 की धारा 33 (i और ii) के तहत यथाअपेक्षित अनुसार बही खातों और अन्य संगत रिकार्डो को उपयुक्त रुप में रखा है जैसाकि हमारे द्वारा इनकी जांच से प्रतीत हुआ है ।

(iv) हम आगे सूचित करते है कि :

(क) तुलन पत्र

(i) वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(अनुसूची 6)
अन्य वर्तमान देनदारियां : 49.23 लाख रु

देयता का प्रावधान कम/नहीं किए जाने के कारण उपरोक्त मद में रु 16.70 लाख की धनराशि कम दिखाई गई है।

(क) मैसर्स सीडीएम स्मिथ का देय मार्च 2013 के रू 11.09 लाख के बिल को शामिल न करने के कारण

(ख) केएफडब्लयू जर्मनी से यूरो में प्राप्त रू 3.16 लाख के ऋण पर प्रतिबद्धवा प्रभार के कम प्रावधान के कारण

(ग) बोर्ड के स्टाफ द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए टयूशन फीस प्रतिपूर्ति हेतु अप्रैल, 2013 में मागें गए रू 1.76 लाख को शामिल न करने के कारण

(घ) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से मार्च, 2013 में (4 एमएस आफिस प्रो) साफटवेयर की रू 0.69 लाख में खरीद को शामिल न करने के कारण

इसके परिणामस्वरूप "आय की व्यय पर अधिकता" तथा "एनसीआरपीबी फंड" में रू 16.01 लाख की राशि ज्यादा बताई गई है। तथा "अचल परिसंपत्तियाँ" में भी रू 0.69 लाख की राशि कम दिखाई गई है।

(2) **प्रावधान**

एनसी आर सेल के देय व्यय: रू 561.69 लाख

❖ कम प्रावधान के कारण उपरोक्त मद में रू 59.52 लाख की धनराशि कम दिखाई गई है। इसके परिणामस्वरूप "आय की व्यय पर अधिकता" तथा "एनसीआरपीबी फंड" में रू 59.52 लाख की राशि ज्यादा बताई गई है। एनसीआर सेल, उ.प्र. (रू 51.05 लाख) तथा एनसीआर सेल, हरियाणा (रू 8.97 लाख) को देय है

(ख) **सहायता अनुदान**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के दौरान 6063.85 लाख रु0 (5500.00 लाख योजना के अंतर्गत, 299.63 लाख रु0 गैर योजना के अंतर्गत और 264.22 लाख रु0 आर.आर.टी.एस कारीडोर के लिए) सहायता अनुदान राशि प्राप्त की है। बोर्ड के पास पिछले वर्ष की खर्च नहीं की गई 96.60 लाख राशि बची है। इस वर्ष बोर्ड ने कुल अनुदान राशि रू 6160.45 लाख खर्च कर ली है।

(ग) **प्रबंधन पत्र**

कमियां,जिन्हें अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है, उपचारात्मक आय/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जानकारी में ला दी गई है।

(v) पिछले पैराग्राफ में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम यह रिपोर्ट करते है कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा /प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में ओर हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाप्रणाली नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक के रुप में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाप्रणाली नियमों के अनुरुप सही और निष्पक्ष खाका प्रस्तुत करते है।

(क) जहाँ तक इसका संबंध 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यों के संबंध में तुलनपत्र से है ; और

(ख) जहाँ तक इसका संबंध इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखे से है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से और उनके लिए
ह0/-
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं पदेन सदस्य ,
लेखा परीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिल्ली : 14 अक्टूबर, 2013

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी पर्याप्तता:** वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा की गई है। वर्तमान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ नहीं है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी पर्याप्तता:** बहुत बडी संख्या में प्राप्तियों और भुगतानो को घ्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के आकार और गतिविधियों के अनुरुप नहीं है। वित्तीय मामलो पर प्रभावी नियंत्रण तथा रिकार्डो/सहायक रजिस्टरो आदि के रखरखाव के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पर्यवेक्षण की जरुरत है।

3. **अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच संबंधी प्रणाली:**
अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रख रखाव सहीं ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। तथा प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में बुक बैलेंस, प्रत्यक्ष तथा इनके मध्य अंतर का का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. **सामान सूची (इंवेटरी) की वास्तविक जांच-प्रणाली:**
सामान सूची (इंवेटरी) नहीं है।

5. **सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता:**
वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अविवादित सांविधिक देनदारियों से संबद्व 6 महीने से अधिक के कोई भुगतान बकाया नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु0 मे)

कोष /पूँजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कोष/पूँजी निधि)	**1**	**26255450527**	**24539689739**
विशेष आरक्षित	**2**	4191267995	3111677300
निर्धारित/एंडोमंट निधि	**3**	10466280	9659524
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**	8092646121	6000000000
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	**6**	713049024	669759579
योग		**44262879947**	**39330786142**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	**7**	9230653	9530378
निर्धारित/एंडोमंट निधियों से निवेश		0	0
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	**8**	21786062	19023643
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**9**	44231863232	39302232121
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई अथवा समयोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		**44262879947**	**39330786142**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	**19**		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	**20**		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रु0 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/एंडोमंट निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		14625	16200
अर्जित ब्याज	10	3344949298	2976140184
अन्य आय	11	17805019	3745219
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		0	0
योग (क)		**3362768942**	**2979901603**
व्यय			
स्थापना व्यय	12	38921855	25207018
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	38973922	9949431
अनुदान/इमदादों आदि पर व्यय		0	0
बाजार ऋण पर व्यय	14	1026604276	1110724217
अनुसूची 7 के अनुरुप मूल्य ह्रास		1414983	1223051
योग (ख)		**1105915036**	**1147103717**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष(क-ख)		**2256853906**	**1832797886**
बांड रिडम्शन रिजर्व में अंतरण		1079590695	956077300
आय और व्यय लेखा (गैर योजना) में अंतरण		11502423	10872418
उप योग		**1091093118**	**966949718**
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरण		**1165760788**	**865848168**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	20		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर योजना)

(राशि रु0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		29963000	30000000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस के निवेश से आय	15	1953079	1414197
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित व्याज		0	0
अन्य आय	16	46915	5996
आय और व्यय लेखा (योजना) से अंतरण		11502423	10872418
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		0	0
योग (क)		**43465417**	**42292611**
व्यय			
स्थापना व्यय	17	34697034	36265019
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	18	8768383	6027592
अनुदान/इमदादों आदि पर व्यय		0	0
योग (ख)		**43465417**	**42292611**
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरण		-	-
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	20		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
I आरंभिक शेष						
क. हाथ मे रोकड़	30846	30846	0	33022	33022	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	4374411055	4374411055	0	5893378991	5893378991	0
ग. भविष्य निधि बचत खाते में शेष	3394573	0	3394573	2514973	0	2514973
घ. नई पेंशन योजना बचत खाते में शेष	680	0	680	655	0	655
उप योग	4377837154	4374441901	3395253	5895927641	5893412013	2515628
II प्राप्त अनुदान						
क . शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से	579963000	550000000	29963000	530000000	500000000	30000000
ख. शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस के अध्ययन के लिए	26421948	26421948	0	83561969	83561969	0
III निवेश पर आय (भविष्य निधि / एनपीएस)						
क. बचत बैंक ब्याज	160491	0	160491	112709	0	112709
ख. भविष्य निधि जमा पर ब्याज	1155649	0	1155649	1234891	0	1234891
IV प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	2338451618	2338451618	0	2236617070	2236617070	0
ख. बचत बैंक	67743623	67743623	0	112557787	112557787	0
ग. बैंक जमाओं पर	775080484	775080484	0	334169324	334169324	0
V अन्य आय						
क. रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	14625	14625	0	16200	16200	0
ख. पहचानपत्रों के गुम होने पर	100	0	100	0	0	0
ग. आरटीआई शुल्क	16624	0	16624	353	0	353
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	31500	31500	0	0	0	0
ड. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	7025	1400	5625	1000	0	1000
च. . आयकर वापसी	10904711	10904711	0	51215315	51215315	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	763329	763329	0	3324594	3324594	0
ज स्टाफ को दिए ऋण पर ब्याज	18807	0	18807	0	0	0
VI उधार ली गई धनराशि						
क. एशियन विकास बैंक से ऋण	996415915	996415915	0	0	0	0
ख. केएफडब्लयू से ऋण	1084497969	1084497969	0	0	0	0
VII अन्य प्राप्तियां						
क. राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	5678942591	5678942591	0	5355499536	5355499536	0
ख. भुनाई गई सावधि जमा	32670000000	32670000000	0	6155600000	6155600000	0
ग. भविष्य निधि/एनपीएस निवेशों की परिपक्वता	10800000	0	10800000	10000000	0	10000000
घ. बयाना राशि/जमानत राशि	8000	0	8000	2000	0	2000
ड केएफडब्लयू द्वारा प्रबंधन शुल्क की वापसी	16925770	16925770	0	0	0	0
च. स्टाफ से अग्रिम की वसूली	1256336	0	1256336	0	0	0
छ.प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	262920	0	262920	0	0	0
ज. एलआईसी से प्राप्त /वसूल की गई जीआईएस धनराशि	18234	0	18234	0	0	0
झ जीपीएफ निकासी/वापसी/अग्रिम	2279660	0	2279660	300000	0	300000
ण एनपीएस वसूली	167661	0	167661	0	0	0
ट रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा स्रोत पर टैक्स की कटौती	5627120	4408670	1218450	8116899	8116899	0
ठ. राज्यों को दिए ऋण से अधिक प्राप्तियां	0	0	0	13500	13500	0
ड. सेमिनार और प्रशिक्षण अग्रिम की वापसी	83500	0	83500	163065	163065	0
ढ स्टाफ कार के प्रयोग की वसूली	5600	0	5600	0	0	0
योग	48645861964	48595046054	50815910	20778433853	20734267272	44166581

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
व्यय						
क. स्थापना व्यय (अनुसूची 12और 17 के अनुरुप)	68287224	40425469	27861755	37649843	18586127	19063716
ख. प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13और18 के अनुरुप)	13684859	4785551	8899308	14561095	8706196	5854899
ग. बाजार पर व्यय (अनुसूची 14. के अनुरुप)	991677980	991677980	0	976833148	976833148	0
II राज्य सरकारों/एजेंसियों को प्रदत्त ऋण	4185071000	4185071000	0	6136518500	6136518500	0
III किए गए निवेश और जमा						
क . एफडीआर में निवेशित राशि	40670000000	40670000000	0	6000000000	6000000000	0
ख. भविष्य निधि/एनपीएस	12000000	12000000	0	10800000	0	10800000
ग. अन्य - बीआरआर	1079590695	1079590695	0	3111677300	3111677300	0
IV अचल परिसंपत्तियों परव्यय						
क. अचल परिसंपत्तियों की खरीद	195581	0	195581	985478	0	985478
V राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणो की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
क. स्टाफ को विविध अग्रिम	277679	0	277679	419527	0	419527
ख. जीपीएफ से अग्रिम/आहरण	2575850	0	2575850	3308405	0	3308405
ग. यात्रा अग्रिम	484704	0	484704	294116	0	294116
घ. बैंकों से अल्प अवधि ऋण	0	0	0	0	0	0
ड. एलटीसी अग्रिम	511086	0	511086	199000	0	199000
च. पेट्रोल अग्रिम	15500	0	15500	22000	0	22000
छ स्टाफ को अग्रिम	56250	56250	0	93750	93750	0
VII अन्य भुगतान						
क. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांडो का विमोचन	0	0	0	0	0	0
ख. बयाना राशि	10000	10000	0	7690	7690	0
ग. उधारकर्त्ता एजेंसियों/बैंको द्वाराटीडीएस की कटौती	70316073	70316073	0	13319838	13319838	0
घ. दिए गए अधिक ब्याज का निरसन	0	0	0	821924	821924	0
ड. जीआईएस निधि के लिए भुगतान	24850	0	24850	57764	0	57764
च. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	8286355	0	8286355	6855849	0	6855849
ज. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	352640	0	352640	161920	0	161920
झ. नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	225990	0	225990	254433	0	254433
ट. आरआरटीएस के लिए भुगतान	36081472	36081472	0	68984379	68984379	0
ठ. केएफडब्ल्यू को प्रबंधन शुल्क	0	0	0	16566875	16566875	0
ड. टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जमानत राशि का भुगतान	0	0	0	6000	0	6000
ढ. प्रशिक्षण तथा सेमिनार अग्रिम	83500	83500	0	197865	197865	0
VIII इति शेष						
क. हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	9450	9450	0	30846	30846	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	1501722493	1501722493	0	4374411055	4374411055	0
ग. जीपीएफ बचत खाते में बैंक बैलेंस	4320025	4320025	0	3394573	0	3394573
घ. एनपीएस बचत खाते में बैंक बैलेंस	708	708	0	680	0	680
कुल	**48645861964**	**48596150666**	**49711298**	**20778433853**	**20726755493**	**51678360**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

अनुसूची-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरु में शेष	**24539689739**	**23173841571**
जोड़ें : दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	0	0
जोड़ें : शहरी विकास मंत्रालय से अंशदन	550000000	500000000
जोड़ें : आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अंतरित	1165760788	865848168
जोड़ें : आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना) से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**26255450527**	**24539689739**

अनुसूची-II

(राशि रु0 में)

विशेष आरक्षित	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बांड रिडम्सन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	3111677300	2155600000
वर्ष के दौरान जमा	1079590695	956077300
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**4191267995**	**3111677300**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

निर्धारित/एंडोमेंट निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के शुरु में शेष	9659524	0
जोडे :वर्ष के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	26421948	83561969
जोडे : हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुदान	13500000	0
उप-योग	**49581472**	**83561969**
ख. आरआरटीएस अध्ययन हेतु किया गया व्यय		
- परामर्शदाता को दिया गया शुल्क	36081472	73902445
- परामर्शदाता को दिया गया शुल्क	3033720	0
उप-योग	**39115192**	**73902445**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क-ख)	**10466280**	**9659524**

अनुसूची-IV

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	5000000000	5000000000
योग	**5000000000**	**5000000000**

अनुसूची-V

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार निजी स्थापन बांड	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	2000000000	2000000000
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	2651000000	2651000000
ग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	1349000000	1349000000
घ. ऐशियन डेविलेपमेन्ट बैंक (एडीबी) से लिया गया ऋण	979586150	0
ड. केएफडब्लयू (जर्मन बाईलैटरल ऐजन्सी) से लिया गया ऋण	1113059971	0
योग	**8092646121**	**6000000000**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	20416841	17998659
2. नई पैंशन योजना निधि	0	0
3. जीआईएस निधि	3939	2145
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	32740	5120
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से टीडीएस की कटौती	398865	2630856
6. अति देय	205000	205000
उप योग	**21057385**	**20841780**
उधार पर ब्याज जमा परंतु देय नहीं		
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	28619843	29442623
2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	39209379	39209379
3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	18927394	18927394
4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	288936986	288936986
5 एडीबी ऋण पर ब्याज	1632644	0
6 केएफडब्ल्यू से ऋण पर ब्याज	3652956	0
उप योग	**380979202**	**376516382**
अन्य चालू देयताएं		
1 देय खर्चे	3928886	2940930
2 बयाना	451965	453965
3 राज्य सरकारों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां।	542602	542602
उप योग	**4923453**	**3937497**
प्रावधान :		
1 कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के लिए		
क. ग्रेच्युटी	12283648	10061842
ख. पैंशन (वर्तमान)	35334908	27909503
ग. पैंशन (सेवा निवृत्त)	21016851	18640145
घ. संचित छुट्टी नकदीकरण	13848322	18960606
उप योग	**82483729**	**75572096**
2 देय रा.रा.क्षे. प्रकोष्ठ व्यय		
क. 31.03.09 तक निवल प्रावधान	6662612	13325224
ख. 2009-10 के लिए प्रावधान	4347250	6685600
ग. 2010-11 के लिए प्रावधान	3709375	17864676
घ. 2011-12 के लिए प्रावधान	13098271	23653209
ङ 2012-13 के लिए प्रावधान	28351252	0
उप योग	**56168760**	**61528709**
3 अन्य प्रावधान		
क. एनआई को मूल्यांकन शुल्क	325907	1154000
ख. एडीबी /केएफडब्ल्यू ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	1049171	979915
ग. एडीबी ऋणों पर गारंटी शुल्क	47689200	47689200
घ. केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	81540000	81540000
ङ पीएमसी सेवाएं - एडीबी	1832217	0
च. अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान	35000000	0
उप योग	**167436495**	**131363115**
कुल योग	**713049024**	**669759579**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-VII

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2012-13 के लिए अचल संपत्तियां

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
अचल संपत्तियां	वर्ष के शुरु के अनुसार लागत/मूल्यांकन	30.09.2012 तक संवर्धन	3.09.2012 के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2013 को समाप्त वर्ष में लागत /मूल्यांकन	वर्ष के शुरु के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल योग	वर्तमान वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.12 के अनुसार	विगत वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.11 के अनुसार
कार्यालय स्थान - आईएचसी	7006134.00	0	0	0	0.00	7006134.00	700613.40	0.00	0.00	700613.40	6305520.60	7006134.00
वाहन	634025.53	714606	0	714606	33467	1315164.53	95103.83	107190.90	0.00	202294.73	1112869.80	1530568.53
फर्नीचर/ फिक्सचर	431705.94	0	90531	90531	0.00	522236.94	43255.23	4526.55	0.00	47781.78	474455.16	431705.89
कार्यालय उपकरण	745019.90	71171	2620	73791	0.00	818810.90	111752.99	10872.15	0.00	122625.14	696185.76	416635.20
कंप्यूटर/ पेरीफेरीयल्स	94491.66	39960	783334	823294	0.00	917785.66	56695.00	258976.20	0.00	315671.20	602114.46	94491.75
विद्युत स्थापनाएं	4252.98	0	0	0	0.00	4252.98	425.30	0.00	0.00	425.30	3827.68	4252.98
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	10263.66	7600	7060	14660	0.00	24923.66	9198.00	11130.00	0.00	20328.00	4595.66	10263.66
अन्य अचल परिसंपत्तियां	36326.81	0	0	0	0.00	36326.81	5243.05	0.00	0.00	5243.05	31083.76	36326.65
कुल योग	8962220.48	833337	883545	1716882	33467	10645635.48	1022286.80	392695.80	0.00	1414982.60	9230652.88	9530378.66

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

निवेश-भविष्य निधि/एनपीएस	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. भविष्य निधि निवेश		
1 सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	12000000	10800000
3 शेयर	0	0
4 डिबेंचर्स और बांड	1000000	1000000
5 सब्सिडी और संयुक्त उद्यम	0	0
6 अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	1053944	417005
सेंविंग बैंक में जमा राशि- जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस	4320025	3394573
उप-योग	**21785354**	**19022963**
ख. नई पेंशन स्कीम		
सेंविंग बैंक में जमा राशि - एसबीआई	708	680
उप-योग	**708**	**680**
कुल योग (क + ख)		
	21786062	**19023643**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1 रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशनका स्टाक	**265412**	**287619**
2 लेखन सामग्री का स्टाक	**195282**	**172184**
3 विविध देनदार		
i) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
ii) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा जमानत)	26648	26648
उप-योग	**125009**	**125009**
4 हाथ में नगद शेष	**9450**	**30846**
5 बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंको के पास		
- बचत खाते	1501722493	4374411055
- बीबीआर की एफडीआर	4191267995	3111677300
- एफडीआर- अन्य	10000000000	2000000000
उप-योग	**15692990488**	**9486088355**
कुल (क)	**15693585641**	**9486704013**
ख) ऋण, अग्रिम और परिसंपत्तियां		
1 ऋण		
क) स्टाफ को अग्रिम	**328811**	**539911**
ख) अन्य अग्रिम		
i यात्रा अग्रिम	75000	62000
ii एलटीसी अग्रिम	0	0
iii पेट्रोल अग्रिम	4200	200
iv विविध अग्रिम	1100	1100
उप-योग	**80300**	**63300**
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	**27254197175**	**28748068766**
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क. पूर्व प्रदत्त व्यय	287972	0
ख. वसूली योग्य अग्रिम आय कर, एफबीटी और टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	150313785	89760082
ग. आरआरटीएस के लिए प्राप्ति योग्य अनुदान	10466280	0
घ. केएफडब्लयू को प्रबंधन शुल्क	0	16987500
ड. सेमिनार अग्रिम	34800	34800
उप- योग	**161102837**	**106782382**
3. जमा आय		
क एफडीआर पर जमा ब्याज पर देय नहीं	262962202	58326291
ख. ऋण पर प्राप्य ब्याज	853265379	876442706
ग. स्टाफ ऋण पर जमा ब्याज	1551500	1541336
घ. बचत खाते में जमा ब्याज	4789387	23763416
उप- योग	**1122568468**	**960073749**
कुल (ख)	**28538277591**	**29815528108**
कुल (क + ख)	**44231863232**	**39302232121**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-X

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क अनुसूचित बैंकों के पास	980858737	367407875
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. अन्य संस्थानों के पास	0	0
घ. अन्य	0	0
2. बचत खातों पर		
क अनुसूचित बैंकों के पास (ऑटो स्वैप एफडीआर समेत)	48769594	125308668
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. डाकघर बचत खाते	0	0
घ. अन्य	0	0
3. ऋण पर		
क राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वियन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	2312318253	2481690110
ख. राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वियन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरुप ब्याज	2956038	1667895
ग. कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	46676	65636
कुल	**3344949298**	**2976140184**

अनुसूची-XI

(राशि रु0 में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. केएफडब्ल्यू से वापसी योग्य प्रबंधन शुल्क की विनिमय दरों में अंतर	(61730)	420625
ख. एडीबी द्वारा ऋण की विनिमय दरों में अंतर	16829765	0
ग. आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	763329	3324594
घ. पुराने खर्चे वापस लिखे गए	202820	0
ङ अतिरिक्त मूल्य ह्रास वापस लिखा	70835	0
कुल	**17805019**	**3745219**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-XII

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2013 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क वेतन और मजदूरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	4404872	2786764
ख. अन्य - एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	6165731	863621
ग. एन सी आर प्रकोष्ठो पर व्यय हेतु प्रावधान	28351252	23653209
घ. एन सी आर सेल दिल्ली के लिए अतिरिक्त खर्च का प्रावधान वापस लिखा	0	(2096576)
कुल	**38921855**	**25207018**

अनुसूची-XIII
(राशि रु0 में)

अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	22206	9023
ख. अध्ययन और सर्वेक्षण	3657068	3764199
ग. विज्ञापन और प्रचार	0	359312
घ. बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	229981	509744
ड. परियोजना मूल्यांकन शुल्क	0	2237146
च. उपक्षेत्रीय (एनसीआर) योजनाएं तैयार करने का	0	2654065
छ संगोष्ठी और प्रशिक्षण	64667	415942
ज. अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान का प्रावधान	35000000	0
कुल	**38973922**	**9949431**

अनुसूची-XIV
(राशि रु0 में)

उधार पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. बांडों पर ब्याज	972436920	973671099
ख. लिस्टिंग शुल्क	221237	217181
ग. रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेण्ट प्रभार	44453	35744
घ. ट्रस्टीशिप शुल्क	60000	60000
ड. पीएमसी सेवाओं-एडीबी पर व्यय	3469420	0
च. रेटिंग एजेंसियों को निगरानी शुल्क	2543393	2316896
छ. एनएसडीएल/सीएसडीएल को वार्षिक कस्टोडियल शुल्क	112360	110300
ज. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	13211129	0
झ. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	5934140	5081627
ण. एडीबी ऋणों पर गारंटी फीस का प्रावधान	0	47689200
ट. केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी फीस का प्रावधान	0	81540000
ठ. केएडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी विनिमय दरों में अंतर	28562003	0
ड. यूरो/डालर में हुए लेन-देन पर सेवा कर/स्विफट प्रभार	9221	2170
कुल	**1026604276**	**1110724217**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2013 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय गैर-योजना के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

भविष्य निधि निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	1752203	1301494
ख. भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	200848	112684
ग. . एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	28	19
कुल	**1953079**	**1414197**

अनुसूची-XVI

(राशि रु0 में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	5625	1000
2. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	8400	4643
3. वापस लिखे गए पुराने व्यय	14766	0
4. आरटीआई शुल्क	16624	353
5. पहचानपत्र खोने पर	100	0
कुल	**45515**	**5996**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2012 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय गैर-योजना के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल तथा मंहगाई भत्ता)	10009292	10269805
भत्ते और बोनस	12905786	12232134
एनपीएस में अंशदान	248357	272193
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	316531	178172
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	1585287	1339465
भर्ती व्यय	632025	21719
संपदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क	0	26523
समाचारपत्र और आवधिक पत्रिकाओं	69182	62458
प्रावधान		
ग्रेच्यूटी का प्रावधान	2221806	1226961
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	(5010654)	2313843
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	7425405	1135446
पेंशन (सेवा निवृत) का प्रावधान	4294017	7186300
कुल	**34697034**	**36265019**

अनुसूची-XVIII

(राशि रु0 में)

प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभाग	350274	317699
हाउस कीपिंग	1220157	954678
मरम्मत और रखरखाव	418812	189511
किराया, दर और कर	1186041	1242210
वाहनों के चालन और रखरखाव पर	463396	437147
डाक , टेलीफोन और संचार प्रभाग	547909	512737
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	394793	304038
यात्रा तथा वाहन व्यय	936145	983175
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	434050	80750
बैठकों पर व्यय	0	235282
कानूनी शुल्क पर व्यय	212345	166500
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	423210	0
आतिथ्य खर्च	224204	131337
व्यावसायिक शुल्क	1862870	367186
विज्ञापन और प्रचार	0	30346
अन्य	94177	74996
कुल	**8768383**	**6027592**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के भाग के रुप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां।

1. **लेखा प्रणाली कन्वेन्शन**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रुढि और लेखा प्रणाली के प्रोद्भवन तरीके के आधार पर तैयार किए जाते है जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

2 **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रुपए तक आंकडों को पूर्णांकित करना :**

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए है। वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ो को नजदीकी रुपयों तक पूर्णांकित किया गया है। आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकड़े जहॉं आवश्यक थे, पुनः समूहित किए गए हैं।

3 **आय मान्यता :**

सभी आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी गई है।

4 **अचल परिसंपत्ति**

(क) अचल परिसंपत्तियां मूल्यह्रास का प्रभार घटाने के पश्चात् ह्रासित मूल्य पर बताई गई है।

(ख) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास का चार्ट परिसंपत्तियों को ब्लाक के बजाए प्रत्येक परिसंपत्ति को अलग दर्शाते हुए तैयार किया गया है। मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है।

5 **व्यय की मान्यता**

एलटीसी तथा मेडिकल क्लेम के भुगतान जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, को छोड़कर सभी व्ययों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

6 **पूर्व अवधि व्यय**

(क) स्थापना व्यय (गैर-योजना)

अनुसूची-17 में दर्शाये गए रू 346.97 लाख के (गैर-योजना) स्थापना व्यय में रू 2.35 लाख का विज्ञापन प्रभार भी शामिल किया गया है जो 'भर्ती व्यय' के अंतर्गत आते है तथा जिनके बिल मार्च 2012 में प्राप्त किए गए थे परन्तु इनके लिए वित्त वर्ष 2011-12 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अत: इनका समायोजन वित्त वर्ष 2012-13 में कर लिया गया है

(ख) प्रशासनिक व्यय (गैर-योजना)

अनुसूची-18 में दर्शाए गए रू 87.68 लाख के (गैर-योजना) प्रशासनिक व्यय में रू 21,525/- की राशि भी शामिल है जो प्रिंटिग एवं स्टेशनरी पर की गई है तथा जिसके लिए मार्च, 2012 में बिल प्राप्त हुए थे

परन्तु इनके लिए वित्त वर्ष 2011-12 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अत: इनका समायोजन वित्त वर्ष 2012-13 के खर्चो में कर लिया गया है।

7 **सेवा निवृत्ति लाभ**

(क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार, वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय लेखों (गैर योजना) तथा तुलन पत्र में किए गए है । वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जा रहे है और तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय लेखा (गैर योजना) में अंतरित की जाती है ।

(ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है । संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियॉं राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है ।

(ग) **नई पेंशन योजना :**

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए भर्ती होने वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरु की है । इसके तहत, कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 % प्रतिशत मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है । व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.08.2009 के का0ज्ञा0 द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रुप से नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0, सेंटर रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुंबई में पंजीकृत किया जाए । इसके अनुपालन में सितंबर, 2009 में नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 में आवश्यक पंजीकरण कराया गया है । नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 को अंतरित की गई है । बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 को भेज रहा है । बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि0 द्वारा किया जा रहा है ।

(घ) **समूह बीमा देनदारियां**

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पालिसी शुरु की है और इसके प्रोदभूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उददेश्य से एलआईसी को 6,91,873 रु0 अंतरित किए । बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रतिमाह एलआईसी को भेज रहा है । कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज सहित बचत लाभों तथा बीमा कवर,जहॉं भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है ।

8 **एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन**

बेची गई और मानार्थ प्रति के रुप में नि:शुल्क वितरित एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टाक का लागत-मूल्य के रुप के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है ।

9 **योजना और गैर योजना लेन देन**

प्रत्येक योजना और गैर योजना लेन देन के लिए, अलग से प्राप्तियां और भुगतान लेखा तथा आय - व्यय विवरण तैयार किया जाता है ।

10 **अध्ययन और सर्वेक्षण**

अध्ययन और सर्वेक्षणोंपर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययनों व्ययों को छोडकर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते है ।

11 **निर्धारित/एंडामेंट निधि**

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 9.3.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव -आरआरटीएस के तीन कारीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा - का अनुमोदन किया है। दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार आरआरटीएस अनुदान मे से रू 96.60 लाख की राशि बची हई है। साथ ही इस वित्त वर्ष 2012-13 में रू 2,64,21,948/- का अनुदान शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस की डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन के वित्त पोषण के लिए प्राप्त किया गया, जो कि निर्धारित निधि शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। अत: इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय इस निधि से प्रभारित है ताकि अनुदान का उपयोग अलग से दिखाया जा सके।

12 **एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ**

(क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर प्रकोष्ठ पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ /राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है । ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति ओर वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रुप दिए जाने के बाद इस बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते है, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है । 31.03.2012 तक देय एनसीआर प्रकोष्ठों संबंधी व्यय के लिए 6,15,28,709/- रु0 का प्रावधान वर्ष 31.03.2012 को समाप्त वार्षिक लेखे के साथ संलग्न तुलन पत्र की अनुसूची-6 में दर्शाया गया है ।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) हरियाणा प्रकोष्ठ को देय व्यय के लिए वर्ष 2010-11 मे 64,63,082/- का प्रावधान किया गया था, परन्तु इसकी तुलना में वर्ष 2010-11 मे 74,94,033/- का वास्तविक भुगतान किया गया । अत: 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, प्रावधान से अधिक इस प्रकोष्ठ को दी गई 10,30,951/-की राशि वर्ष 2012-13 के लेखों के माध्यम से पारित की गई ।

(ii) वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 के लिए उ.प्र.सेल को देय व्यय 3,24,27,425/- का प्रावधान था परन्तु इसकी तुलना में 4,26,36,400/- की रकम की वास्तविक प्रतिपूर्ति पारित की गई (वर्ष 2005-06 के लिए 41,20,541/- 2006-07 के लिए 44,88,564; 2007-08 के लिए 42,93,544/-, 2008-09 के लिए 51,73,668/-, 2009-10 के लिए रू 78,98,207/, 2010-11 के लिए रू 78,98,207/- तथा 2011-12 के लिए रू 91,51,917/-) जिसमें से रू 2,13,18,200/- (प्रतिपूर्ति रकम का लगभग 50%) वर्ष 2012-13 में किया गया अत: 31.3.2012 की स्थिति, रू 51,04,487/- की निवल अतिरिक्त रकम जो सेल को प्रावधानों के ऊपर दी गई वो वर्ष 2012-13 के लेखों के माध्यम से पारित की गई।

(iii) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 हेतु राजस्थान प्रकोष्ठ को देय व्यय क्रमशः रू 56,80,537/- एवं 53,53,869/- था (कुल 1,10,34,406/-) पर जिसकी तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 में वर्ष 2010-11 के लिए रू 53,53,869 तथा वर्ष 2011-12 के लिए रू 57,10,830/- (कुल 1,10,64,699/-) का वास्तविक भुगतान किया गया । अतः 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार प्रकोष्ठ को रू 30,293/- का निवल अतिरिक्त भुगतान वर्ष 2012-13 के लेखों के माध्यम से पारित किया गया।

(iv) चालू वर्ष 2011-12 के लिए एनसीआर प्रकोष्ठ के लिए निम्नलिखित अनुसार 2,83,51,252/- की व्यय राशि का प्रावधान किया गया और इसे आय-व्यय लेखा (योजना) राशि में प्रभारित किया गया है।

राजस्थान	57,10,830.00 रु0
उत्तरप्रदेश	132,42,426.00 रु0
हरियाणा	83,41,490.00 रु0
दिल्ली	10,56,506.00 रु0
कुल	2,83,51,252.00 रु0

दिनांक 31.3.2013 को समाप्त वर्ष हेतु एनसीआर प्रकोष्ठों को देय व्यय का कुल प्रावधान रू 5.62 करोड़ है जो कि बोर्ड के वार्षिक लेखे की अनुसूची-6 के अनुसार है।

13 **आय कर**

(क) उपयुक्त आयकर प्राधिकरण यानी वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने अपने आदेश सं. डीजीआईटी छूट(ई)10(23सी) iv/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा एनसीआरपी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 (1961का 43) की धारा 10 के खंड (23सी)के उपखंड(iv) के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से अनुमोदित कर दिया हैं। बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23सी)के उपखंड(iv) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है । इसे देखते हुए वर्ष 2012-13 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । लेकिन वर्ष 2012-13 के लिए "स्रोत पर कर की कटौती नहीं" संबंधी अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पूर्व उधारकर्त्ता एंजेसियो/बैंकों ने वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर 7,14,58,414/-रु का टीडीएस काटा । तदनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 6 में शीर्ष " अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशि " के तहत वर्ष-2012-13 के लिए स्रोत पर कर कटौती को स्रोत पर कर योग्य कटौती के रुप में दर्शाया गया है । इसके लिए दावा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से किया जाएगा।

(ख) कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से बोर्ड की आय पर दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड(23 सी) के तहत छूट प्राप्त है । इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में वित्त वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया । वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 से संबंधित अग्रिम आय कर/ वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की 8,97,60,082/- रु0 की राशि 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के तुलन पत्र में दर्शाई गई । वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित 1,16,68,040/- रु0 (7,63,329/-रु0) की ब्याज राशि समेत) की वापसी हुई है । पूर्व उधारकर्त्ता एंजेसियो/बैंकों ने वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर 7,14,58,414/-रु का

टीडीएस काटा । तदनुसार 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग से 15,03,13,785/- वसूल किए जाने है ।

14 **स्थापना व्यय (योजना) वेतन**

अनुसूची 12 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए रु0 44,04,872/- बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन है । ये 5 पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है इसके अतिरिक्त, 5 अस्थाई पद शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27/1/2011 के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए सृजित की गई है जिनके लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है। तदनुसार, बोर्ड के वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को आंतरिक जमा से कर रही है और उसे आय-व्यय (योजना) में अलग से दर्शाया जा रहा है ।

15 **बांड रिडंमशन रिजर्व (बीआरआर) का सृजन**

बोर्ड ने फरवरी, 2008 में 07 वर्ष की अवधि के लिए 200 करोड रु0 के कर योग्य बांड प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पूँजी बाजार से जुटाए । सांविधिक आवश्यकतानुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तीय रुप से मूल्यांकन क्रिसिल तथा फिच रेटिंग ऐजेंसी से कराया गया । रेटिंग ऐजेंसी ने उल्लेख किया कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्शन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि परिपक्वता पर बांड रिडम्शन राशि में बराबर का रिजर्व रहे । इसके अलावा, बोर्ड ने बांड इसू के जरिए 900 करोड रु0 की अतिरिक्त राशि जुटाई है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बांड संबंधी अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने बांड रिडम्शन रिजर्व सृजित किया और आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित कर आंतरिक जमा से इस बीआरआर में राशि अंतरित की जा रही है । वर्ष 2012-13 के लिए, आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित बीआर आर में 107,95,90,695/- करोड रु0 की राशि (बीआरआर जमा पर अर्जित रु0 32,95,90,695/-ब्याज सहित) अंतरित कर दी है । 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, 2011-12 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-।। के अनुसार बीआरआर में अब कुल 419.13 करोड रु0 है ।

16 एनसीआरपी बोर्ड ने 2010-11 में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए (कर योग्य) (एनसीआरपी बोर्ड) बांड सिरीज-।(2020) से 500 करोड रु0 जुटाए । सेबी के दिनांक 11मई, 2009 के परिपत्र सं. एसईबीआई/आईएमडी/बांड/1/2009/11/2005 के अनुसरण में यह बांड इसू के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी खाता ऋणों पर निगेटिव लिअन के द्वारा सुरक्षित है।

17 **बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार**

(क) **एशियन डवलपमेंट बैंक** एनसीआरपी बोर्ड ने एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 17.03.2011 को 78 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण लेने हेतु सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए है । इस ऋण पर गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है और गारंटी सहमति पत्र पर एशियन डवलपमेंट बैंक तथा भारत सरकार के बीच 17.03.2011 को हस्ताक्षर किए गए है । इस ऋण को 29 जून, 2011 से प्रभावी माना गया है । ऋण की अवधि 5 वर्ष की विलंबन अवधि समेत 25 वर्ष है । अर्द्ध वार्षिक व्याज की दर 6 महीनों के LIBOR (एल.आइ.बी.ओ.आर) से 20 आधार प्वाइंट अधिक है । इसके अलावा, एशियन डवलपमेंट बैंक को 0.15% प्रतिबद्धता शुल्क और भारत सरकार को 1.2% सालाना गारंटी शुल्क देय है। तदनुसार,प्रतिबद्धता शुल्क के रूप मे एडीबी को देय रू 8.10 लाख की राशि का प्रावधान वित्त वर्ष 2012-13 के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्ष 2011-12 में कोई गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किय गया था इसलिए वर्ष 2012-13 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, बोर्ड ने एडीबी से 18.09 मिलियन डालर (रू 99,64,15,915) का नया ऋण लिया है तथा इस ऋण की दिनांक

31.3.2013 को विनिमय दर भिन्नता (-रू 1,68,29,765/-) को अन्य आय के रूप में आय एवं व्यय खाते (योजना) में दिखाया गया है।

ख. **<u>केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी)</u>** एनसीआरपी बोर्ड ने केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी) के साथ दिनांक 09.02.2012 को 100 मिलियन यूरो का ऋण +01 मिलियन यूरो का अनुदान लेने हेतु सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए है । इस ऋण पर गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है और गारंटी सहमति पत्र पर केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी)तथा भारत सरकार के बीच 09.02.2012 को हस्ताक्षर किए गए है । मुख्य ऋण की अदायगी के लिए ऋण की अवधि 5 वर्ष की विलंबन अवधि समेत 15 वर्ष है । यह ऋण 1.83 प्रतिशत सालाना की निर्धारित वार्षिक ब्याज दर पर है । इसके अलावा केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेसी) 0.25 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क और भारत सरकार को 1.2 प्रतिशत सालाना गारंटी शुल्क देय है । अतः वित्त वर्ष 2012-13 हेतु केएफडब्ल्यू को देय प्रतिबद्धता शुल्क के लिए रू 2.39 लाख का प्रावधान किया गया था। इसके अतिररिक्त, चूंकि वित्त वर्ष 2011-12 में गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था इसलिए 2012-13 के लिए काई नया प्रावधान नहीं किया गया। दिनांक 31.3.2012 के अनुसार, केएफडब्ल्यू से रू 1.69 करोड़ का प्रबंधन शुल्क वसूल किया जाना था जो कि वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में प्राप्त किया गया तथा विनिमय दर भिन्नता हानि रू 61,730/- को "उधार पर व्यय" (अनुसूची 14) के अंतर्गत दिखाया गया है तथा "लेखा (योजना) आय एवं व्यय" में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड ने यूरो 9.05 मिलियन (रू 108,44,97,969) का नया ऋण केएफडब्लू से लिया है तथा विनिमय दर भिन्नता हानि रू 2,85,62,003/- को "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लेखा (योजना) आय एवं व्यय में दिखाया गया है।

18 एनसीआरपीबी ने अपनी दिनांक 22.3.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में अनुमोदित किया कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों सस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। जल,सीवरेज तथा एस डब्ल्यू एम सेक्टर की सभी परियोजनाएँ जो पीएसएमजी द्वारा 1.4.2012 अथवा 46वीं बैठक के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें दिनांक 1.4.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई है, यह अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना पूर्ण होने तथा ऋण की शर्ते पूरी करने पर प्रदान किया जाएगा। अतः रू 3.50 करोड़ की रकम प्रो-राटा आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 के लेखों में प्रदान की गई है तथा लेखा (योजना) आय एवं व्यय में भविष्य में उठने वाले ऐसे खर्चो के लिए प्रभारित की गई है।

19 वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की सूची 9 में दर्शाए अनुसार ,31.03.2013 की स्थिति के अनुसार राज्स सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों/अग्रिमों के रुप में <u>27,25,41,97,175/-</u> रु0 का बकाया, एनसीआरपी बोर्ड की संबंधित उधारकर्त्ता एजेंसियों से बकाया की पुष्टि के अध्यधीन है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव